तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज एफएसएस एक्ट मु.सं. 29/17 महमूद अली बनाम कालूखां 2017/00204	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
27-03-2018	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पर शास्ति आरोपित की गई। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्त्तर हो। अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री यशवंत भाकर, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 29/2017 2017/00204

श्री महमूद अली, खादय सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें बीकानेर, जोन बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री कालू खां पुत्र श्री नैनू खां जाति मुसलमान (विक्रेता मालिक) मैसर्स सोलंकी दूध दही भण्डार, पंचमुखा हनुमानजी मन्दिर के पास, रानीबाजार बीकानेर (राजस्थान)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी – श्री महमूद अली, खाध सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी की ओर से – श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक :– 27.03.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली खादय सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 19.05.2015 को अप्रार्थीपक्ष श्री कालू खां पुत्र श्री नैनू खां जाति मुसलमान (विक्रेता मालिक) मैसर्स सोलंकी दूध दही भण्डार, पंचमुखा हनुमानजी मन्दिर के पास, रानीबाजार बीकानेर (राजस्थान) के यहां दुकान पर निरीक्षण के दौरान फ्रिजर में लगभग 20 किलोग्राम पनीर आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था । तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पनीर में से एक किलोग्राम पनीर नमूना संग्रह हेतु उनके बताये अनुसार मूल्य 180/– रूपये खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर श्री गोपालकृष्ण शर्मा, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त पनीर को चार बराबर बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली शीशी में डालकर फॉर्मेलिन की बूंदे डालकर पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 10.08.2015 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें पनीर सबस्टेण्डर्ड का पाया गया । प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड पनीर का विकय कर खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खादय पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री विजय कुमार पारीक अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में निवेदन किया कि इस मामले में तत्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से पनीर का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में Milk Fat content of the dry matter Wt. Basis Not less than 50.00 % की तुलना में 45.02% पाया गया है जो निर्धारित मानक से कम है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पनीर सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने बचाव में कथन किया कि अप्रार्थी मैसर्स सौलंकी दूध दही भण्डार के नाम से एक छोटी सी दुकान का संचालन करता है जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी को लिखित/मौखिक नोटिस दिये बिना एवं डरा धमकाकर पनीर प्राप्त कर नमूना जांच वास्ते लेकर हस्ताक्षर करवायें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पनीर सैंपल बोतलों में भरना बताया है जबकि पनीर की ऐसी अवस्था नहीं होती जो बोतल में भरी जा सके । अप्रार्थी के यहां से दिनांक 19.5.2015 को जांच हेतु उक्त नमूना लिया गया जिसे जयपुर स्थित प्रयोगशाला में किस दिनांक को जमा करवाया तथा जमा नहीं होने पर किस स्थिति में व किसकी कस्टडी में रहा कोई स्पष्ट उल्लेख पत्रावली में अंकित नहीं किया गया और ना ही जांच रिपोर्ट आने के बाद अप्रार्थी को किसी प्रकार की सूचना दी गई। जिससे अप्रार्थी पुनः जांच के अधिकारों से वंचित रहा। फूड एनालाईसिस की रिपोर्ट अनुसार उक्त पदार्थ सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है लेकिन उक्त रिपोर्ट में पनीर किस प्रकार सबस्टेण्डर्ड है, का उल्लेख नहीं है। रिपोर्ट में Milk Fat content of the dry matter मामूली अन्तर पाया गया है। चूंकि पनीर दूध से निर्मित पदार्थ है जहां दूध गायें के खानपान एवं वहां की जलवायु पर निर्भर करती है। अप्रार्थी द्वारा पनीर में किसी प्रकार की मिलावट इत्यादि नहीं की गई है बल्कि शुद्ध पनीर विक्रय करता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विधि विरूद्ध एवं आधा अधूरा परिवाद प्रस्तुत किया है। इसलिए परिवाद खारिज फरमाया जाकर अप्रार्थी को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करें।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन) बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी खाद्य ,सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिर्पोट क्रमांक एलएस/1241/एक्ट/2015/698 दिनांक 10.08.2015 की रिर्पोट संलग्न है इस रिर्पोट के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाया गया पनीर Milk Fat on dry Wt. Basis not less than 50-0 % की तुलना में 45.02 % है, जो निर्धारित मानक से कम होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का पनीर विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है । अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 25,000/– अखरे पचीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

(यशवंत भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner